Import of Cotton

*1241. **Shrimati Ila Palchoudhuri:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of India have decided to permit the import of 70,000 bales of cotton from East Africa; and

(b) if so, the details of conditions under which the import is to be made whether on a charter system or cash payment basis?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): (a) Yes, Sir.

(b) Licences for this cotton are granted to actual users, namely, the mills on production of quota letters issued by the Textile Commissioner, Bombay. Payments against these imports are made on presentation of shipping documents.

Trade Mission from Belgium

*1242. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether a six-member Trade Mission from Belgium visited India recently with a view to exploring possibility of expanding Indo-Belgian trade;

(b) whether they held any talks with Government; and

(c) if so, what was the result?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): (a) to (c). A non-official fact-finding mission of businessmen and industrialists from Belgium visited India in order to study at first-hand the scope for industrial collaboration and expansion of trade between the two countries. During the course of general discussions, Government's policy in regard to capital participation, technical collaboration, imports on the basis of deferred payments, etc. was explained to the mission. It is hoped that these discussions will help the Belgian industrial circles to get a fuller picture of our economic policy and programme and the possibilities of foreign participation in India's industrial development.

सरकारी मकानों पर अनधिकृत रूप से कब्जा

१६६१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ के अन्त में दिल्ली में कितने व्यक्ति सरकारी मकानों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए थे ;

(ख) अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले इन व्यक्तियों में कितने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे और कितने अन्य व्यक्ति थे ;

(ग) अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों से १९५६ में हरजाने के रूप में कितनी रकम वसूल की गई और कितनी वसूल नहीं की जा सकी ;

(घ) इस रकम के वसूल न होने के क्या कारण थे ; और

(ङ) इस रकम को वसूल करने के काम में कितने व्यक्ति लगाये गये थे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क). ३८३ (अनाधिकारी व्यक्तियों के कुटुम्बियों को छोड़ कर)

(ख) १९ सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी, और ३६४ दूसरे व्यक्ति ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दिये गये व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़े इकट्ठा किया जा रहे हैं और सभा की मेज पर रख दिये जायेंगे । इन व्यक्तियों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों से जिनसे १९५६

से पहले अनधिकार कब्जा करने के लिये सरकार को रकम वसूल करनी थी उनसे १२,५५२ रुपये का हरजाना वसूल किया गया और २,४६,११६–५–० रुपये नहीं वसूल हुए ।

(ख) कुछ मामलों में निकाले गये व्यक्ति जिनसे हरजाने की रकम वसूल करना बाकी था, लापता हो गये । कुछ अन्य मामलों में दीवानी अदालतों ने सरकार को रकम वसूल से रोकने के आदेश जारी किये ।

(ग) केवल रकम वसूल करने पर कोई कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं । सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से वसूली उनके प्रशासनीय विभाग द्वारा की जाती है । अन्य मामलों में अभी हाल तक पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन) ऐक्ट [Public Premises (Eviction) Act] के अन्तर्गत सार्टीफिकेट प्रोसीडिंग्स (Certificate Proceedings) की सहायता ली जाया करती थी ।

बागान श्रमिक आवास योजना

१६६२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन किन राज्यों ने बागान श्रमिक आवास योजना चालू कर दी है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य-सरकारों को कितना ऋण दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) केरल, मद्रास, आसाम, मसूर और त्रिपुरा का केन्द्रीय प्रदेश ।

(ख) २.३३५ लाख रुपये ।

विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों को किराये पर उठाना

१६६३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य स्थानों में विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों तथा दुकानों को किराये पर उठाने के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है वहां शरणार्थियों को किराये पर दिये गये मकान/टेनीमेंट या दुकानों के किराये-नामों में इस बात का जिक्र है कि एलाटी उन्हें किराये पर किसी और को नहीं देंगे । दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

गैर-सरकारी इमारतों का अधिग्रहण

१६६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में सरकार द्वारा अधिगृहीत कितनी गैर-सरकारी इमारतें इस समय सरकार के अधिकार में हैं ;

(ख) इन इमारतों को कब तक वापस कर देने का विचार है ;

(ग) १९५६–५७ में कितनी इमारतें वापस की गईं ;

(घ) इन अधिगृहीत इमारतों का कितना किराया और किस हिसाब से दिया जाता है ; और